

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

यशोदा बाई पत्नी प्रहलाद गुर्जर निवासी बनाम
53 गुर्जर व ब्राहमण बस्ती पीपल्दा
सारसला जिला बूंदी

-वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1. धनपाल पुत्र श्री गंगाबिशन जाति गुर्जर
2. धर्मराज पुत्र श्री लटूर
3. नंदकंवर पत्नी स्व० लटूर
4. निर्मला पुत्री लटूर
5. महावीर पुत्र लटूर
6. रूकमा बाई पत्नी हीरा जातियान गुर्जर निवासी पत्थरमंडी रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-प्रतिवादीगण

--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--

मुकद्मा नं. 113/2025 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम शंभूपुरा प० हल्का गिरधरपुरा की आराजी ख० न० 270 रकबा 0.54 हे० भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाइनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
यशोदा पत्नी प्रहलाद	270	0.22 है०	दक्षिण
1. धनपाल पुत्र श्री गंगाबिशन हि० 1/3 2. धर्मराज पुत्र श्री लटूर हि० 1/12 3. नंदकंवर पत्नी स्व० लटूर हि० 1/12 4. निर्मला पुत्री लटूर हि० 1/12 5. महावीर पुत्र लटूर हि० 1/12 6. रूकमा बाई पत्नी हीरा हि० 1/3	270	0.32 है०	उत्तर

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा